



सत्यमेव जयते
राजस्थान सरकार



राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना 2022



राजस्थान सरकार

राजस्थान ग्रामीण
पर्यटन योजना - 2022

Rajasthan Rural
Tourism Scheme-2022



RAJASTHAN
The Incredible State of India™

राजस्थान सरकार
पर्यटन विभाग

क्रमांक: प.5 (6) पर्यटन/2022

जयपुर

दिनांक : 30-11-2022

अधिसूचना

राज्य सरकार की मंत्रिमण्डल आज्ञा क्रमांक डी. 141/म.म./2022 दिनांक 26 नवम्बर, 2022 के अनुसरण में “राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना - 2022” को एतद् द्वारा प्रभावी किया जाता है।

उक्त योजना के क्रियान्वयन हेतु सभी संबंधित विभाग योजना के प्रावधानों के अनुरूप आवश्यकता अनुसार अपने नियमों/उप नियमों में संशोधन करेंगे एवं अधिसूचनायें/आदेश/परिपत्र आदि जारी करेंगे।

(गायत्री राठौड़)
प्रमुख शासन सचिव



फोटो : श्रवण पटेल

बजट घोषणा वर्ष 2022-23 की पालना में ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु 'राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना' तैयार की गई है। ग्रामीण पर्यटन से तात्पर्य गांवों के जीवन, कला संस्कृति और विरासत को प्रदर्शित कर समृद्ध पर्यटन अनुभव उपलब्ध करवाने वाला पर्यटन जो स्थानीय समुदाय को आर्थिक और सामाजिक रूप से समृद्ध बनाये। इस योजना से ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित की जाने वाली पर्यटन इकाइयों यथा ग्रामीण गेस्ट हाउस, कृषि पर्यटन इकाई, कैम्पिंग साइट, कैरावेन पार्क की स्थापना से गांवों में रोजगार सृजन, लोक कलाओं को प्रोत्साहन, हस्तशिल्प का संरक्षण एवं ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।

1. लघु शीर्षक, सीमा एवं प्रारम्भ

इस योजना का नाम 'राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना' होगा एवं यह राजस्थान राज्य के केवल ग्रामीण क्षेत्रों तक विस्तारित होगी। यह योजना अधिसूचना जारी होने की तिथि से लागू होगी।

2. परिभाषाएं

इस योजना में जब तक कि सदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो-

- पर्यटन नीति से तात्पर्य राजस्थान पर्यटन नीति-2020 से है।
- पर्यटन इकाई नीति से तात्पर्य प्रचलित राजस्थान पर्यटन इकाई नीति से है।
- ग्रामीण क्षेत्र से तात्पर्य मूलिकियों के बाहर का क्षेत्र जहाँ ग्राम पंचायत कार्यरत है।
- आवेदक से तात्पर्य ग्रामीण आवासीय/आबादी क्षेत्र में आवासीय भवन के मालिक, ग्रामीण कृषि भूमि के खातेदारों अथवा जिनके नाम से मालिकाना दस्तावेज उपलब्ध है, से है जो ग्रामीण पर्यटन इकाई संचालन हेतु आवेदन करता है।
- ग्रामीण पर्यटन इकाई से तात्पर्य इस योजना के अन्तर्गत परिभाषित ग्रामीण गेस्ट हाउस, कृषि पर्यटन इकाई, कैम्पिंग साइट एवं कैरावेन पार्क है।

इस योजना में परिभाषित ग्रामीण गेस्ट हाउस इकाई का पंजीकरण एवं कृषि पर्यटन इकाई, कैम्पिंग साइट, कैरावेन पार्क का प्रोजेक्ट अनुमोदन एवं पंजीकरण पर्यटन विभाग के संबंधित पर्यटक स्वागत केन्द्र द्वारा किया जायेगा।

- **ग्रामीण गेस्ट हाउस (Rural Guest House)** से तात्पर्य पर्यटन विभाग, राजस्थान के संबंधित पर्यटक स्वागत केन्द्र द्वारा ग्रामीण आवासीय क्षेत्र/आबादी क्षेत्र में पंजीकृत 6 से 10 कमरों को पर्यटकों को किराये पर दे कर अस्थायी आवास एवं भोजन के लिए उपलब्ध करवाने वाले आवास से है।
- **कृषि पर्यटन इकाई (Agro Tourism Unit)** से तात्पर्य पर्यटन विभाग, राजस्थान के संबंधित पर्यटक स्वागत केन्द्र द्वारा ग्रामीण क्षेत्र की कृषि भूमि पर अनुमोदित पर्यटन इकाई, जो न्यूनतम 2000 वर्गमीटर एवं अधिकतम 2 हेक्टेयर पर स्थापित है। जिसके 10 प्रतिशत भू-भाग पर ग्राउण्ड फ्लोर एवं एक मंजिल (G+1) कुल 9 मीटर

ऊँचाई तक निर्मित भाग में आवास एवं भोजन व्यवस्था अनुमत होगी और शेष 90 प्रतिशत भाग का उपयोग कृषि व बागवानी कार्य, ऊँट फार्म, घोड़ा फार्म, पक्षी एवं पशुधन, फसल बोने के लिए, हस्तशिल्प, बगीचे आदि गतिविधियों द्वारा पर्यटकों को ग्रामीण परिवेश का अनुभव उपलब्ध करवाया जायेगा।

- **कैम्पिंग साइट (Camping Site)** से तात्पर्य पर्यटन विभाग, राजस्थान के संबंधित पर्यटक स्वागत केन्द्र द्वारा ग्रामीण क्षेत्र की कृषि भूमि पर अनुमोदित पर्यटन इकाई, जो न्यूनतम 1000 वर्गमीटर एवं अधिकतम 1 हेक्टेयर पर स्थापित हो एवं जिसके 10 प्रतिशत भू-भाग पर टैन्टों में अस्थायी आवास एवं भोजन व्यवस्था अनुमत होगी और शेष 90 प्रतिशत भाग का उपयोग ऊँट फार्म/घोड़ा फार्म/पशुधन, बगीचे आदि गतिविधियों द्वारा पर्यटकों को ग्रामीण परिवेश का अनुभव उपलब्ध करवाने के लिए किया जा सकेगा।
- **कैरावेन पार्क (Caravan Park)** से तात्पर्य पर्यटन विभाग, राजस्थान के संबंधित पर्यटक स्वागत केन्द्र द्वारा ग्रामीण क्षेत्र की कृषि भूमि पर अनुमोदित पर्यटन इकाई, जो न्यूनतम 1000 वर्गमीटर व अधिकतम 1 हेक्टेयर पर स्थापित हो, जहां पर कैरावेन (अतिथियों के साथ) पार्क किये जाने हेतु बुनियादी सुविधाओं यथा विद्युत कनेक्शन, स्वच्छ जल एवं सीवर कनेक्शन (Waste Disposal), अतिरिक्त टॉयलेट व स्नानघर उपलब्ध हों।
- **होम स्टे (पेइंग गेस्ट हाउस) -** पर्यटन विभाग द्वारा पूर्व में जारी होम स्टे (पेइंग गेस्ट हाउस) स्कीम ग्रामीण क्षेत्र में भी लागू है। इसके तहत आवास मालिक द्वारा स्वयं के आवास में पर्यटकों को 5 कमरों तक आवास सुविधा उपलब्ध करवायी जाती है।
- ऐसे शब्द एवं व्यंजक जो इस योजना में परिभाषित नहीं है; का तात्पर्य पर्यटन नीति-2020 एवं प्रचलित पर्यटन इकाई नीति में परिभाषित है, वही होगा।

3. पंजीकरण, अनुमोदन एवं नवीनीकरण की प्रक्रिया

विभाग द्वारा ऑनलाईन आवेदन एवं ऑनलाईन भुगतान की सुविधा प्रारम्भ की जायेगी। तब तक ऑफलाईन आवेदन स्वीकार किये जायेंगे।

(1) ग्रामीण गेस्ट हाउस का पंजीकरण एवं नवीनीकरण

1. पंजीकरण

- (i) आवेदक द्वारा ग्रामीण गेस्ट हाउस के पंजीकरण का आवेदन संलग्न प्रपत्र '1 (अ)' में भरकर संबंधित पर्यटक स्वागत केन्द्र प्रभारी को प्रस्तुत किया जायेगा।
- (ii) आवेदन प्राप्त होने पर, प्रभारी, पर्यटक स्वागत केन्द्र आवेदन की विषयवस्तु, स्व-घोषणा एवं उपलब्ध करवाये गये दस्तावेजों के आधार पर 7 कार्य दिवसों के अन्दर प्रपत्र '1 (ब)' में अस्थायी पंजीकरण जारी करेगा। अस्थायी पंजीकरण 6 महीने के लिए वैध होगा और अस्थायी पंजीकृत आवेदक को निर्धारित अवधि के लिए ग्रामीण गेस्ट हाउस के संचालन का अधिकार प्राप्त होगा।

- (iii) यदि प्रभारी अधिकारी, पर्यटक स्वागत केन्द्र द्वारा 7 कार्य दिवसों में अस्थायी पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाता है, तो इसे पंजीकृत माना जाएगा और ऐसे प्रकरणों में संबंधित अधिकारी जिम्मेदार होगा।
- (iv) प्रभारी, पर्यटक स्वागत केन्द्र अस्थायी पंजीकरण के उपरान्त अनिवार्य रूप से 3 माह में ग्रामीण गेस्ट हाउस का निरीक्षण करेगा। यदि आवेदक ने कुछ अर्हताओं/ आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया है, तो निरीक्षण उपरान्त एक सप्ताह में इस बाबत आवेदक को सूचित करेगा। यह आवेदक का दायित्व होगा कि वह 3 महीने की अवधि में सभी अर्हताओं/ आवश्यकताओं और कमियों को पूरा करें। 3 महीने के बाद, यदि संबंधित अधिकारी संतुष्ट है, तो पंजीकरण प्रमाण पत्र (प्रपत्र 1 स) जारी करेगा और यदि निर्धारित अवधि में कमियाँ दूर किये जाने हेतु की गई कार्यवाही अपेक्षा/ आवश्यकता के अनुरूप नहीं है, तो अस्थायी पंजीकरण वापस (Withdraw) ले लिया जाएगा और संबंधित अधिकारी द्वारा आवेदन को निरस्त कर आवेदक एवं संबंधित अधिकारियों/कार्यालयों को सूचित किया जाएगा।
- (v) पंजीकरण प्रमाण-पत्र जारी होने की तिथि से दो साल की अवधि के लिए वैध होगा।

2. नवीनीकरण

- (Vi) वैधता अवधि समाप्ति से अधिकतम 3 महीने एवं न्यूनतम 2 माह पूर्व नवीनीकरण के लिए प्रपत्र ‘5’ में आवेदन करना अनिवार्य होगा।
- (vii) प्रभारी अधिकारी, पर्यटक स्वागत केन्द्र को आवेदित इकाई का निरीक्षण कर आवेदन को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार होगा।
- (viii) निर्धारित अवधि में नवीनीकरण हेतु आवेदन नहीं करने की स्थिति में पंजीकरण के लिए पुनः आवेदन करना होगा।
- (xi) नवीनीकरण प्रमाण-पत्र भी जारी होने की तिथि से दो साल के लिए वैध होगा।

(2). कृषि पर्यटन इकाई, कैम्पिंग साइट, कैरावेन पार्क के प्रोजेक्ट अनुमोदन, पंजीकरण एवं नवीनीकरण

1. प्रोजेक्ट अनुमोदन

- (I) आवेदक द्वारा प्रोजेक्ट अनुमोदन का आवेदन संलग्न प्रपत्र -‘2 (अ)’ में भरकर संबंधित पर्यटक स्वागत केन्द्र में प्रस्तुत किया जायेगा।
- (ii) प्रोजेक्ट हेतु प्रस्तावित स्थल का साइट सर्वे एवं अनुमोदन 45 कार्यदिवस में संबंधित पर्यटक स्वागत केन्द्र प्रभारी द्वारा किया जाएगा।

(iii) प्रोजेक्ट अनुमोदन प्रपत्र-‘2 (ब)’में जारी किया जायेगा।

2. पंजीकरण

- (iv) प्रोजेक्ट अनुमोदन होने के अधिकतम 3 वर्ष में आवेदक को प्रोजेक्ट अनुमोदन आवेदन के साथ संलग्न किए गए बिल्डिंग प्लान अनुसार प्रोजेक्ट पूर्ण कर ग्रामीण पर्यटन इकाई के पंजीकरण हेतु विभाग में प्रपत्र -‘2(स)’में आवेदन करना होगा।
- (v) प्रभारी, पर्यटक स्वागत केन्द्र आवेदन का परीक्षण कर 7 कार्य दिवसों के अन्दर प्रपत्र - ‘2 (द)’ में अस्थायी पंजीकरण जारी करेगा। अस्थायी पंजीकरण 6 महीने के लिए वैध होगा और अस्थायी पंजीकृत आवेदक को निर्धारित अवधि के लिए ग्रामीण पर्यटन इकाई के संचालन का अधिकार प्राप्त होगा।
- (vi) यदि प्रभारी अधिकारी, पर्यटक स्वागत केन्द्र द्वारा 7 कार्य दिवसों में अस्थायी पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाता है, तो इसे पंजीकृत माना जाएगा और ऐसे प्रकरणों में संबंधित अधिकारी जिम्मेदार होगा।
- (vii) प्रभारी, पर्यटक स्वागत केन्द्र अस्थायी पंजीकरण के उपरान्त अनिवार्य रूप से 3 माह में ग्रामीण पर्यटन इकाई का निरीक्षण करेगा। यदि आवेदक ने कुछ अहताओं/ आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया है, तो निरीक्षण उपरान्त एक सप्ताह में इस बाबत आवेदक को सूचित करेगा। यह आवेदक का दायित्व होगा कि वह 3 महीने की अवधि में सभी अहताओं/ आवश्यकताओं और कमियों को पूरा करें। 3 महीने के बाद, यदि संबंधित अधिकारी संतुष्ट है, तो पंजीकरण प्रमाण पत्र (प्रपत्र - ‘2 य’) जारी करेगा और यदि निर्धारित अवधि में कमियाँ दूर किये जाने हेतु की गई कार्यवाही अपेक्षा/ आवश्यकता के अनुरूप नहीं है, तो अस्थायी पंजीकरण वापस (Withdraw) ले लिया जाएगा और संबंधित अधिकारी द्वारा आवेदन को निरस्त कर आवेदक को सूचित किया जाएगा।
- (viii) पंजीकरण प्रमाण-पत्र जारी होने की तिथि से दो साल के लिए वैध होगा।

3. नवीनीकरण

- (ix) वैधता अवधि समाप्ति से अधिकतम 3 महीने एवं न्यूनतम 2 माह पूर्व नवीनीकरण के लिए प्रपत्र ‘5, में आवेदन करना होगा।
- (x) प्रभारी अधिकारी, पर्यटक स्वागत केन्द्र को आवेदित इकाई का निरीक्षण कर आवेदन को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार होगा।
- (xi) निर्धारित अवधि में नवीनीकरण हेतु आवेदन नहीं करने की स्थिति में पंजीकरण के लिए पुनः आवेदन करना होगा।
- (xii) नवीनीकरण प्रमाण-पत्र भी जारी होने की तारीख से दो साल के लिए वैध होगा।

4. प्रोजेक्ट अनुमोदन/पंजीकरण/नवीनीकरण शुल्क

- (1) आवेदन पत्र के साथ निम्नानुसार निर्धारित शुल्क जमा कराया जायेगा।

वर्ग (श्रेणी)	आवेदन शुल्क	नवीनीकरण शुल्क
ग्रामीण गेस्ट हाउस	2,000/-	1,000/-
कृषि पर्यटन इकाई	5000/-	2,500/-
कैम्पिंग साईट	5000/-	2,500/-
कैरावेन पार्क	5000/-	2,500/-

- (2) शुल्क का भुगतान ई-चालान/ऑनलाइन के माध्यम से आयुक्त/निदेशक, पर्यटन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर को देय होगा एवं शुल्क का रिफन्ड नहीं होगा।

5. ग्रामीण पर्यटन इकाइयों को देय लाभ

- (i) स्टाम्प छ्यूटी में 100 प्रतिशत की छूट दी जायेगी। प्रारम्भ में 25 प्रतिशत स्टाम्प छ्यूटी देय होगी; Tourism इकाई शुरू होने का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर पुनर्भरण किया जायेगा।
- (ii) देय एवं जमा SGST का 10 वर्षों तक 100 प्रतिशत पुनर्भरण किया जायेगा।
- (iii) ‘मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना’ के अंतर्गत 25 लाख रुपये तक के ऋण पर 8 प्रतिशत के स्थान पर 9 प्रतिशत ब्याज अनुदान दिया जायेगा।
- (iv) ग्रामीण पर्यटन इकाइयों को भू-संपरिवर्तन एवं बिल्डिंग प्लान अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी।
- (v) वन विभाग के अधीन क्षेत्र में ग्रामीण पर्यटन का प्रोत्साहन राजस्थान ईको ट्यूरिज्म पॉलिसी, 2021 के प्रावधानों के अनुसार किया जायेगा।
- (vi) स्थानीय लोक कलाकारों एवं हस्तशिल्पियों तथा ग्रामीण स्टार्टअप द्वारा स्थापित किये जाने वाले प्रोजेक्ट को अनुमोदन एवं देय लाभों में प्राथमिकता दी जायेगी।

इस योजना के प्रावधानों के अतिरिक्त संबंधित विभागों के नियम लागू होंगे। इस योजना के क्रियान्वयन हेतु योजना जारी होने के तुरन्त उपरान्त समस्त संबंधित विभागों द्वारा अपने अधिनियमों/उपनियमों/नियमों/गाईडलाइन्स में आवश्यक संशोधन किया जायेगा। इस योजना का प्रशासनिक विभाग पर्यटन विभाग होगा।

6. प्रोजेक्ट अनुमोदन एवं पंजीकरण के नियम व शर्तें

1. प्रभारी, पर्यटक स्वागत केन्द्र द्वारा आवेदक से स्वप्रमाणित भू-स्वामित्व दस्तावेजों की प्रति प्राप्त की जायेगी और आवेदक ऐसे दस्तावेजों की प्रामाणिकता/कानूनी अनुपालना के लिए पूरी तरह से स्वयं जिम्मेदार होगा।
2. ग्रामीण पर्यटन इकाइयाँ 15 फीट चौड़ी सड़क/रिकॉर्ड भूमि पर अनुमत होगी।
3. आवेदक समस्त वैधानिक शुल्कों/करों के भुगतान के लिए जिम्मेदार होगा।
4. यदि किसी प्रस्तावित सड़क या किसी विकास परियोजना के लिए पर्यटन इकाई की भूमि के किसी भाग की आवश्यकता है, तो यह अनुमोदन तदनुसार संशोधित/निरस्त माना जाएगा।
5. यदि आवेदित प्रोजेक्ट वर्तमान में राज्य सरकार/केंद्र सरकार द्वारा जारी किसी भी वन आरक्षित/वन अभ्यारण्य क्षेत्र दिशा-निर्देशों/अधिसूचना/परिपत्र/नियम/आदेश से प्रभावित है, तो यह अनुमोदन स्वतः रद्द/ संशोधित माना जाएगा। ECO Sensitive Zone में ग्रामीण पर्यटन इकाइयाँ माननीय उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालयों के निर्णयों के अधीन अनुमत होगी।
6. यदि आवेदित भूमि किसी नदी-नाले के जलग्रहण क्षेत्र के अंतर्गत आती है तो यह स्वीकृति स्वतः ही निरस्त/संशोधित मानी जायेगी।
7. प्रतिबंधित क्षेत्रों/भूमि पर यह योजना लागू नहीं होगी।
8. यदि आवेदित भूमि पहले से ही पर्यटन इकाई के प्रयोजनार्थ संपरिवर्तित की जा चुकी है तो संबंधित इकाइयां इस योजना में पात्र नहीं होगी।
9. यदि उच्च वोल्टेज विद्युत तार आवेदित भूमि के ऊपर से गुजरता है, तो आवेदक को इस संबंध में भवन निर्माण हेतु प्रचलित नियमों की पालना स्वयं करनी होगी।
10. इस अनुमोदन को किसी भी विभाग की एनओसी के रूप में नहीं लिया जा सकता है।
11. ग्रामीण पर्यटन इकाई हेतु संबंधित पर्यटक स्वागत केन्द्र द्वारा किया गया प्रोजेक्ट अनुमोदन/पंजीकरण भवन मानचित्र के अनुमोदन, भवन के नियमन अथवा भवन के मालिकाना हक को प्रमाणित नहीं करता है, का उल्लेख पर्यटन विभाग द्वारा जारी प्रोजेक्ट अनुमोदन/पंजीकरण में किया जायेगा।
12. नियमों व शर्तों के उल्लंघन की स्थिति में आवेदक संबंधित विभागों के नियम एवं कानूनों के दायरें में उल्लेखित दण्डों के लिए स्वयं उत्तरदायी होगा।

7. ग्रामीण पर्यटन इकाईयों द्वारा संचालन हेतु आवश्यक सुविधाएं एवं पालनाओं का विवरण

(i) आवश्यक सुविधाएं

पर्यटकों को निम्न सुविधायें ग्रामीण पर्यटन इकाईयों द्वारा उपलब्ध करवायी जायेगी-

- पानी एवं विद्युत की नियमित आपूर्ति, रोशनी एवं हवा तथा उपयुक्त फर्नीचर की पर्याप्त व्यवस्था होगी।
- पर्यटकों की ठहराव अवधि के दौरान उन्हें सम्पूर्ण पर्यटन इकाई क्षेत्र (खेतों सहित) में कृषि क्रियाकलापों एवं उपलब्ध अन्य गतिविधियों में सम्मिलित होने हेतु access उपलब्ध करवायी जायेगी।
- परिसर में स्वच्छता, साफ-सफाई एवं सुरक्षा के आवश्यक उपाय होंगें एवं परिसर की स्थिति अच्छी होगी।
- परिसर में पांकिंग की पर्याप्त सुविधा उपलब्ध करवाई जायेगी।
- परिसर में कचरे के पर्यावरण अनुकूल निस्तारण की व्यवस्था होगी।
- ग्रामीण पर्यटन इकाई परिसर में Toilet waste/Black water waste खाली करने की पर्यावरण अनुकूल सुविधा उपलब्ध होगी।
- ई-कैपल्स हेतु चार्जिंग सुविधा उपलब्ध करवाई जायेगी।
- वातावरण अनुकूलित पावर बैंकअप की सुविधा उपलब्ध होगी।
- ग्रामीण पर्यटन इकाई में सौर ऊर्जा के उपयोग को प्रोत्साहन दिया जायेगा।
- ऑन-कॉल मोटर मैकेनिक की सुविधा उपलब्ध करवाई जायेगी।

(ii) आवश्यक पालनाएं

- ग्रामीण पर्यटन इकाइयों के संचालन पूर्व एफ.एस.एस.आई. (FSSAI) फूड लाइसेन्स लेना अनिवार्य होगा।
- ग्रामीण पर्यटन इकाई संचालक को योजना के बिन्दु 11 पर उल्लेखित “ग्रामीण पर्यटन इकाइयों के संचालकों हेतु सामान्य अनुदेश” की पालना सुनिश्चित करनी होगी तथा स्वागत कक्ष में बैनर पर मुदित कर एवं प्रत्येक कक्ष में ब्रोशर/पेम्पलेट के रूप में उपलब्ध करवाई जाएगी।
- उपरोक्त इकाइयों में पर्यटकों की सुरक्षा की सम्पूर्ण जिम्मेदारी संचालक की होगी।
- उपरोक्त इकाइयों में प्रवेश दिये गये सभी व्यक्तियों की पहचान हेतु उनका विवरण प्राप्त किया जायेगा।
- पर्यटन इकाईयों के परिसर में नियमानुसार पर्याप्त सख्त्या में अग्निशमन यंत्र व दुर्घटनाओं से बचाव हेतु अन्य आवश्यक उपाय किये जायेंगे।

- हस्तांतरण या विरासत के आधार पर मालिकाना हक परिवर्तन संबंधी सूचना स्वप्रमाणित दस्तावेजों के साथ पर्यटन कार्यालय को निर्धारित प्रपत्र में हस्ताक्षरित स्वघोषणा सहित देना अनिवार्य होगा।
- विदेशी पर्यटकों का पूर्ण विवरण प्रासंगिक कानून के अनुसार संबंधित पुलिस थाने को प्रस्तुत करेगा।
- आयुक्त/निदेशक पर्यटन विभाग द्वारा समय-समय पर अन्य शर्तें लागू की जा सकेंगी।
- ग्रामीण पर्यटन इकाइयों द्वारा समस्त प्रचलित सरकारी अधिनियमों, कानूनों, नियमों एवं विनियमों का पालन किया जायेगा।
- ग्रामीण पर्यटन इकाई के आवेदक द्वारा पर्यटन इकाई में ठहरे हुए अतिथियों को सभी प्रकार की सहायता प्रदान की जायेगी। आपात या आकस्मिक दुर्घटना की स्थिति में तुरंत चिकित्सा एवं परिवहन सहायता प्रदान की जायेगी।

8. अपील

प्रभारी अधिकारी, पर्यटक स्वागत केन्द्र द्वारा आवेदन पत्र निरस्त करने की स्थिति में आवेदक निदेशक/आयुक्त, पर्यटन विभाग को, आवेदन निरस्त किए जाने की तिथि से 30 दिवस में अपनी अपील मय दस्तावेज प्रस्तुत कर सकेगा। प्राप्त अपील के संबंध में निदेशक/आयुक्त पर्यटन का निर्णय अन्तिम होगा। निर्धारित अवधि उपरान्त प्राप्त अपील/प्रतिवेदन को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

9. परम्परागत खेलों व ग्रामीण संस्कृति को प्रोत्साहन

ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यटकों को ग्रामीण संस्कृति व ग्रामीण खेल कूदों, स्थानीय लोक कलाकारों एवं हस्तशिल्पियों की ओर आकर्षित करने व इनसे अवगत करवाने एवं उनको जीवन्त अनुभव प्रदान करने हेतु सम्बन्धित पर्यटक स्वागत केन्द्र द्वारा ग्राम पंचायत व पंचायत समिति के समन्वय से समय-समय पर ग्रामीण/परम्परागत खेलकूद प्रतियोगिताएं व कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे। इन कार्यक्रमों में ग्रामवासियों की भागीदारी संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।

10. यदि संबंधित विभागों को इस योजना के क्रियान्वयन हेतु कठिपय नियम/उपनियम एवं अधिसूचनाओं में संशोधन करने की आवश्यकता है तो उनके द्वारा माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान, जिन्हें मंत्रिमण्डल द्वारा इस हेतु राजस्थान पर्यटन नीति, 2020 के तहत अधिकृत किया गया है, से अनुमोदन प्राप्त कर आवश्यक कार्यवाही की जा सकती है।

11. ग्रामीण पर्यटन इकाइयों के संचालकों हेतु सामान्य निर्देश/अनुदेश

- कचरे का उचित प्रबंधन एवं निस्तारण।
- पर्यटक वाहनों के लिए समुचित पार्किंग व्यवस्था।

- पर्यटकों के ठहरने के दौरान संचालक द्वारा स्थानीय संस्कृति एवं भावनाओं का ध्यान रखा जायेगा।
- स्थानीय लोक कलाकारों के माध्यम से सांस्कृतिक आयोजन एवं हस्तशिल्पकारों से रुबरू करवाना।
- पर्यटकों को ग्रामीण परिवेश की अनुभूति कराया जाना सुनिश्चित करना।
- पर्यटकों के ठहराव को जीवन्त एवं रूचिकर बनाने हेतु ग्रामीण गतिविधियों यथा- कृषि/ बागवानी कार्य, ग्रामीण खेलकूद, सांस्कृतिक कार्यक्रम, होर्स/ कैमल/ जीप/ मोटरसाइकिल सफारी/ बैलगाड़ी सफारी का आयोजन।
- आवारा पशुओं से सुरक्षा सुनिश्चित करना।
- आपातकालीन स्थिति में पर्यटकों हेतु प्राथमिक उपचार/ ऑनकॉल डॉक्टर/ एम्बूलेन्स/ ऑनकॉल मोटर मैकेनिक की व्यवस्था सुनिश्चित करना।
- 24 घण्टे सम्पर्क हेतु दूरभाष/ मोबाइल सुविधा।
- आपातकालीन स्थिति में सम्पर्क किए जाने वाले व्यक्ति का नाम व मोबाइल नं. का डिस्प्ले।
- ध्वनि प्रसारक यंत्रों का उपयोग करते समय ध्वनि प्रसारण के निर्धारित मानकों की पालना सुनिश्चित की जाएगी।
- पर्यटन इकाई वन क्षेत्र के समीप स्थित होने की स्थिति में वन्य जीवों के निर्बाध आवागमन एवं सुरक्षा का ध्यान रखा जायेगा।
- पर्यटन इकाई में अधिकृत व्यक्तियों का ही प्रवेश अनुमत होगा।
- पर्यटकों को अनाधिकृत पदार्थों/ पेय का विक्रय नहीं किया जायेगा।
- पर्यटन इकाई में बालश्रमिकों का उपयोग निषेध होगा।
- ग्रामीण पर्यटन इकाई द्वारा पर्यटकों को जानवरों के प्रति बुरा व्यवहार न करने, जानवरों के अधिकारों पर जागरूकता लाने तथा उनके प्रति सम्मानित व्यवहार करने हेतु प्रेरित किया जायेगा।



फोटो : यश चाहरी

प्रपत्र - '1 (अ)'

ग्रामीण गेस्ट हाउस के पंजीकरण के लिए आवेदन पत्र

प्रेषिति

प्रभारी अधिकारी,
पर्यटक स्वागत केन्द्र,

..... |

विषयः ग्रामीण गेस्ट हाउस के पंजीकरण के लिये आवेदन पत्र

महोदय,

ग्रामीण गेस्ट हाउस के पंजीकरण हेतु मेरा आवेदन व वांछित दस्तावेजों की स्वप्रमाणित प्रतिलिपियां संलग्न कर प्रस्तुत हैं:

1. भवन का नाम व भवन संख्या:

2. आवेदक का नाम एवं पता:

आवेदक की आधार कार्ड संख्या: ई-मेल:

आवास फोन न.: मो. संबंधित ग्राम

पंचायत: फोन न. संबंधित पुलिस थाना:-
..... फोन न. संबंधित तहसील

कार्यालय: फोन न.: संबंधित नगर विकास न्यास/विकास

प्राधिकरण (यदि लागू है।) फोन न.

3. भवन का पता: ग्राम पोस्ट

तहसील जिला (राजस्थान)

पिनकोड फोन न.

4. भवन का विवरण (प्रति संलग्न करें):

अ. भवन के स्वामित्व संबंधी दस्तावेज यथा प्रमाणित जमाबन्दी/पट्टा/आवंटन पत्र/
रजिस्टर्ड लीजडीड इत्यादि।

ब. वर्तमान निर्मित भवन का भवन स्वामी द्वारा स्वप्रमाणित बिल्डिंग प्लान संलग्न करें।

- स. मार्ग की चौड़ाई जिस पर भवन स्थित है (पटवारी द्वारा जारी किये गये दस्तावेज की प्रति साक्ष्य हेतु संलग्न करें।)
- द. भवन या इसके आसपास के क्षेत्र में उपलब्ध पार्किंग क्षेत्र का विवरण
- य. भूखंड का क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)
- र. भूखंड का आच्छादित (कवर्ड) क्षेत्रफल (वर्ग फीट में)
- ल. भवन में कुल कमरों की संख्या
- व. योजना के अन्तर्गत पर्यटकों को उपलब्ध करवाये जाने वाले कुल कमरों की संख्या

कमरे का प्रकार	अटैच्ड बाथरूम कमरा	प्रस्तावित दर	बिना अटैच्ड बाथरूम कमरा	प्रस्तावित दर	संख्या
सिंगल बैड					
डबल बैड					
ट्रिपल बैड					
डोरमेट्री					
कुल कमरे					

अतिरिक्त सुविधाएं, यदि कोई हो;

5. उपलब्ध कराये जाने वाले भोजन का प्रकार:
6. जमा कराये जाने वाले शुल्क का विवरण:
ई-चालान/ऑनलाईन रसीद संख्या
7. आवेदन के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावजों की संख्या
- (दस्तावेजों का नाम अंकित करते हुए एक पृथक सूची संलग्न करें और दस्तावेजों एवं सूची पर हस्ताक्षर करें।)

()

स्पष्ट अक्षरों में आवेदक का नाम एवं हस्ताक्षर

आवेदक द्वारा स्व-घोषणा (ग्रामीण गेस्ट हाउस हेतु)

- (1) मैंने/हमने राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना में उल्लिखित सभी नियमों एवं शर्तों को पढ़ और समझ लिया है, और मैं/हम इनकी पालना करने के लिये सहमत हूँ/हैं।
- (2) मैं/हम भवन निर्माण हेतु योजना में उल्लिखित मानदण्डों/शर्तों की पूर्णतया पालना करूंगा/करूंगी/ करेंगे।
- (3) ग्रामीण गेस्ट हाउस के पंजीकरण हेतु आवेदित किये गये आवास पर कोई भी सरकारी कर देयता लंबित नहीं हैं। भविष्य में भी समस्त करों का भुगतान समय पर करूंगा/करूंगी/ करेंगे।
- (4) मेरी/ हमारी जानकारी के अनुसार, मेरे/ हमारे द्वारा दी गई जानकारी और संलग्न दस्तावेज सही और प्रामाणिक हैं और मैंने आवेदन पत्र एवं स्व-घोषणा के समस्त पृष्ठों और सभी संलग्न दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कर दिये हैं।
- (5) यदि मेरे/ हमारे द्वारा संलग्न दस्तावेजों में किसी प्रकार की विसंगती, योजना के नियम और शर्तों का उल्लंघन पाया जाता है तो पंजीकरण रद्द करने और अधोहस्ताक्षरी के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करने का अधिकार सरकार को होगा तथा मौजूदा नियमों, कानूनों आदि के तहत मेरे विरुद्ध विधिक कार्यवाही/ मुकदमा चलाने के लिए मैं/ हम स्वयं उत्तरदायी रहूँगा/रहूंगी/ रहेंगे।
- (6) मैं/ हम ग्रामीण गेस्ट हाउस हेतु निर्धारित सभी सरकारी अधिनियमों, कानूनों, नियमों, विनियमों, दिशा-निर्देशों का पालन करूंगा/करूंगी/ करेंगे।
- (7) यदि आवेदन पत्र में मेरे/ हमारे द्वारा प्रस्तुत विवरण में कोई परिवर्तन होता है तो मैं/ हम इसे संबंधित पर्यटक स्वागत केंद्र को एक सप्ताह में उपलब्ध कराऊंगा/ कराऊंगी/ कराएंगे।
- (8) यह कि मेरा/ हमारा प्रतिष्ठान एक आवासीय इकाई है और मैं/ हम अपने परिवार के साथ उसमें भौतिक रूप से रह रहा/ रही/ रहें हूँ/हैं।
- (9) मैं/ हम प्रतिष्ठान का/ के मालिक हूँ/ हैं और आवास को ग्रामीण गैस्ट हाउस के रूप में चलाने के लिए पूरी तरह से अधिकृत हूँ/हैं।
- (10) महिला यात्रियों के लिए क्रियाशील सीसीटीवी सहित प्रतिष्ठान में उचित सुरक्षा उपाय किये गए हैं।
- (11) मैं/ हम ग्रामीण गेस्ट हाउस में कम से कम 6 कमरे और 10 से अधिक कमरे पर्यटकों को नहीं दूंगा/ दूंगी/ देंगे।
- (12) परिसर मरम्मत की अच्छी स्थिति में है और उसमें अग्रि शमन सहित स्वच्छता, साफ-सफाई और सुरक्षा आदि की व्यवस्था आवश्यक मानकों के अनुरूप है।
- (13) मैं/ हम प्रपत्र '4' के अनुसार प्रतिष्ठान में रहने के लिए आने वाले पर्यटकों का एक रजिस्टर संधारित रखूँगा/ रखूंगी/ रखेंगे और इसे कम से कम 7 साल या लागू कानून के अनुसार संरक्षित रखूँगा/ रखूंगी/ रखेंगे।
- (14) मैं/ हम प्रतिष्ठान में आने वाले देशी एवं विदेशी पर्यटकों का विवरण संबंधित प्राधिकारियों को प्रासंगिक कानून और दिशानिर्देशों के अनुसार, जो समय पर लागू है, प्रस्तुत करूंगा/करूंगी/ करेंगे।

- (15) ग्रामीण पर्यटन इकाई के स्वामित्व में किसी भी तरह के बदलाव के बारे में, चाहे वह विरासत में मिले या ट्रांसफर से, तुरंत प्रभारी, संबंधित पर्यटक स्वागत केन्द्र को पुराने एवं नये भवन स्वामी द्वारा 30 दिवस में सूचित किया जाएगा।
- (16) परिसर में या आसपास के क्षेत्र में पर्याप्त पार्किंग सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी, जिससे आस - पास के पड़ोसियों को असुविधा न हो;
- (17) मैं/ हम आयुक्त/निदेशक, पर्यटन विभाग द्वारा यथा समय लागू की जाने वाली अन्य शर्तों की पालना करूंगा/ करूंगी/ करेंगे।
- (18) मैं/ हम सभी प्रचलित सरकारी अधिनियमों, कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों का पालन करूंगा/ करूंगी/ करेंगे और नहीं करने की स्थिति में समस्त कानूनी प्रावधान मुझे/ हम पर लागू होंगे।
- (19) मैं/ हम विगत पंजीकरण और वर्गीकरण की समाप्ति की तारीख से 3 महीने पहले नवीनीकरण के लिए आवेदन करूंगा/ करूंगी/ करेंगे और नहीं करने पर मुझे/ हमें रजिस्ट्रेशन हेतु पुनः आवेदन करना होगा।
- (20) मेरे/ हमारे आवासीय प्रतिष्ठान को वन विभाग से किसी अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है / वन एनओसी की आवश्यकता है जिसे मैंने/ हमने संलग्न किया है।
- (21) यदि आवेदित प्रोजेक्ट किसी भी प्रतिबंधित क्षेत्र यथा वन अभ्यारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान, नदी - नाले के जलग्रहण क्षेत्र, गैस लाइन, पैट्रोल पाइप लाइन तथा भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा घोषित प्रतिबंधित क्षेत्र में स्थित है या संबंधित विभागों के क्षेत्रीय दिशा-निर्देशों/ अधिसूचना/परिपत्र/नियम /आदेश से प्रभावित है, तो यह अनुमोदन स्वतः रद्द हो जाएगा।
- (22) ECO-Sensitive Zone में माननीय उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालयों के निर्णयों की पालना करूंगा/ करूंगी/ करेंगे।
अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी एवं दस्तावेज स्वयं के ज्ञान के अनुसार सही एवं प्रमाणिक हैं। यदि प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों में किसी प्रकार की विसंगति, योजना के नियमों तथा शर्तों का उल्लंघन पाया जाता है तो, गेस्ट हाउस का पंजीकरण निरस्त किया जा सकेगा।

()
स्पष्ट अक्षरों में आवेदक का नाम एवं हस्ताक्षर

प्रपत्र - '1 (ब)'

ग्रामीण गेस्ट हाउस के पंजीकरण के लिए आवेदन पत्र

क्रमांकः

दिनांकः

प्रेषिति-

श्री/श्रीमती/सुश्री

पता

विषय- ग्रामीण गेस्ट हाउस का अस्थायी पंजीकरण पत्र।

आपके आवेदन प्रपत्र एवं उसके साथ संलग्न स्व-घोषणा (आवेदक द्वारा) के आधार पर, आवेदित प्रतिष्ठान (पता) को “राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना - 2022” के प्रावधानों के तहत **ग्रामीण गेस्ट हाउस** (कमरों की संख्या) के संचालन हेतु अस्थायी रूप से पंजीकृत किया जाता है।

यह अस्थायी पंजीकरण दिनांक से तक .(तिथि अंकों में), से (तिथि शब्दों में) तक वैध है (जारी करने वाले प्राधिकारी द्वारा लिखित में प्रेषित कारणों से वैधता अवधि से पूर्व निरस्त न कर दिया गया हो)।

किसी भी असुविधा की स्थिति में आप, पर्यटक स्वागत केंद्र (फोन नंबर ईमेल) से संपर्क कर सकते हैं।

नोट- यह अस्थायी पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदक को वैधता की तिथि के पश्चात् ग्रामीण गेस्ट हाउस संचालन जारी रखने का अधिकार नहीं देता है।

()

प्रभारी, पर्यटक स्वागत केन्द्र
(कार्यालय की मुहर)

प्रपत्र - '1 (स)'

ग्रामीण गेस्ट हाउस का पंजीकरण प्रमाण पत्र

क्रमांकः

दिनांकः

प्रमाणित किया जाता है कि प्रतिष्ठान (पता)
 जो कि श्री/श्रीमती के
 स्वामित्व में है, को कमरों की सख्त्या हेतु पर्यटन विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा
 जारी की गई राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना के तहत ग्रामीण गेस्ट हाउस के रूप में पंजीकृत किया जाता है।
 यह प्रमाण पत्र दिनांक(तिथि अंकों में) (तिथि शब्दों में) से दिनांक
(तिथि अंकों में) (तिथि शब्दों में) तक वैध है (जारी करने वाले
 प्राधिकारी द्वारा लिखित में प्रेषित कारणों से वैधता अवधि से पूर्व निरस्त न कर दिया गया हो)।

नोट:- गेस्ट हाउस का पंजीकरण उक्त भूमि/संपत्ति के टाइटल अथवा स्वामित्व, किसी भी प्रकार के भवन योजना के
 अनुमोदन अथवा उपलब्ध भवन के नियमन को प्रमाणित नहीं करता है। किसी भी वाद विवाद या कानूनी वाद के लिए
 आवदेक स्वयं जिम्मेदार होगा।

()

प्रभारी

पर्यटक स्वागत केन्द्र

स्थान

क्रमांकः

दिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:

1. सरपंच, संबंधित ग्राम पंचायत
2. जिला वन अधिकारी, वन विभाग
3. कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग
4. कार्यकारी अभियंता, ऊर्जा विभाग
5. BDO, संबंधित पंचायत समिति
6. तहसीलदार, संबंधित तहसील
7. कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक स्वारथ्य अभियांत्रिकी विभाग।

()

प्रभारी

पर्यटक स्वागत केन्द्र



प्रपत्र - '2 (अ)'

कृषि पर्यटन इकाई, कैम्पिंग साईट, कैरावेन पार्क के प्रोजेक्ट अनुमोदन हेतु आवेदन पत्र

प्रेषिति-

प्रभारी अधिकारी,
पर्यटक स्वागत केन्द्र,.....
पर्यटन विभाग, राजस्थान सरकार

विषय: कृषि पर्यटन इकाई/कैम्पिंग साईट/कैरावेन पार्क (जिस इकाई के लिए आवेदन है, को छोड़कर शेष को काट दें) के प्रोजेक्ट अनुमोदन के लिये आवेदन पत्र।

महोदय,

कृषि पर्यटन इकाई/कैम्पिंग साईट/कैरावेन पार्क (जिस इकाई के लिए आवेदन है, को छोड़कर शेष को काट दें) के प्रोजेक्ट अनुमोदन के लिये निम्नानुसार आवेदन मय वांछित दस्तावेजों की स्वप्रमाणित प्रतिलिपियां संलग्न कर प्रस्तुत हैं:

1. आवेदक का नाम एवं पता:
 आवेदक का आधार कार्ड संख्या-मोबाइल नम्बर:
 ई-मेल:

2. प्रस्तावित पर्यटन इकाई हेतु आवेदित भूमि का विवरण:

खसरा नं./भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल (वर्गमीटर अथवा भू-स्वामित्व दस्तावेज अनुसार अंकित करें)

आवेदित भूमि का कुल क्षेत्रफल (वर्गमीटर में) ग्राम:

पोस्ट: तहसील जिला (राजस्थान),

पिन कोड:

संबंधित पुलिस थाना: फोन न.

संबंधित तहसील कार्यालय: फोन न.

संबंधित नगर विकास न्यास/विकास प्राधिकरण: (यदि लागू है तो)

फोन न. संबंधित ग्राम पंचायत: फोन न.

3. स्थापना का विवरणः

- अ. प्रस्तावित(कृषि पर्यटन इकाई, कैम्पिंग साईट, कैरावेन पार्क में से एक नाम लिखें) के लिये भवन स्वामी द्वारा स्वप्रमाणित बिल्डिंग प्लान संलग्न करें।
- ब. कृषि पर्यटन इकाई, कैम्पिंग साईट, कैरावेन पार्क परिसर के स्वामित्व संबंधी दस्तावेज यथा प्रमाणित जमाबन्दी/पट्टा/आवंटन पत्र/पंजीकृत विक्रय विलेख की आवेदक द्वारा से प्रमाण की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करें।
- स. सम्पत्ति के अवस्थित होने के स्थान पर उपलब्ध मार्ग की चौड़ाई (पटवारी द्वारा जारी किये गये दस्तावेज की प्रति साक्ष्य हेतु संलग्न करें।)
- द. स्थापना या इसके आसपास के क्षेत्र में उपलब्ध पार्किंग क्षेत्र का विवरण
- य. भूखंड का क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)वर्ग फीट में.....
- र. भूखंड में प्रस्तावित आच्छादित (कवर्ड) क्षेत्रफल (वर्ग फीट में)
- ल. स्थापना में कुल कमरों की प्रस्तावित संख्या

पक्के कमरे	ऊंट/घोड़ा फार्म का क्षेत्र
		(वर्ग फीट में)
ईको फ्रेन्डली कमरे	फसल/बागवानी का क्षेत्र
		(वर्ग फीट में)
टेन्ट हेतु, पक्के स्ट्रक्चर	घरेलू पक्षी एवं पशुधन हेतु
		क्षेत्र
हस्तशिल्प क्षेत्र	अन्य प्रस्तावित गतिविधियाँ
		(नाम व क्षेत्रफल सहित)

4. जमा कराये जाने वाले शुल्क का विवरणः

- ई-चालान/ऑनलाईन भुगतान संख्या
5. आवेदन के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावजों की संख्या
- (दस्तावेजों का नाम अंकित करते हुए एक पृथक सूची संलग्न करें।)
(स्थापना में प्रस्तावित सुविधाओं की सूचना योजना में संलग्न अनुसूची में भरें एवं अनुसूची के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करें।)

()

स्पष्ट अक्षरों में आवेदक का नाम एवं हस्ताक्षर

प्रपत्र - '2 (ब)'

प्रोजेक्ट अनुमोदन

क्रमांकः

दिनांकः

प्रमाणित किया जाता है कि खसरा संख्या कुल खसरे
 कुल क्षेत्रफल वर्ग मीटर जिस पर श्री/श्रीमती द्वारा पर्यटन विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जारी की गई राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना के तहत कृषि पर्यटन इकाई/कैम्पिंग साईट/कैरावेन पार्क की स्थापना के लिए आवेदन किया गया है, को अनुमोदित किया जाता है।

प्रोजेक्ट अनुमोदन दिनांक को जारी किया जाता है। आवेदक को 3 वर्ष की अवधि के दौरान निर्माण कार्य पूर्ण करना होगा। अन्यथा अनुमोदन निरस्त कर दिया जायेगा।

कृषि पर्यटन इकाई/कैम्पिंग साईट/कैरावेन पार्क का प्रोजेक्ट अनुमोदन उक्त भूमि/संपत्ति के टाईटल (स्वामित्व), किसी भी प्रकार के भवन योजना के अनुमोदन अथवा उपलब्ध भवन के नियमन को प्रमाणित नहीं करता है।

आवेदक द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र इस अनुमोदन के पृष्ठ भाग पर छपा हुआ है।

()

प्रभारी

स्थान

पर्यटक स्वागत केन्द्र

प्रपत्र - '2 (स)'

कृषि पर्यटन इकाई, कैम्पिंग सार्फेट, कैरावेन पार्क के पंजीकरण हेतु आवेदन पत्र

प्रेषिति-

प्रभारी अधिकारी,
पर्यटक स्वागत केन्द्र,.....
पर्यटन विभाग, राजस्थान सरकार

विषय: कृषि पर्यटन इकाई/कैम्पिंग सार्फेट/कैरावेन पार्क के पंजीकरण के लिये आवेदन पत्र (जिस इकाई के लिए आवेदन है, को छोड़कर शेष को काट दें।)

महोदय,

कृपया वांछित विवरण निम्नानुसार है तथा संबंधित दस्तावेजों की प्रतिलिपियां संलग्न प्रस्तुत हैं:-

1. ग्रामीण पर्यटन इकाई का नाम:-.....
2. ग्रामीण पर्यटन इकाई हेतु प्रोजेक्ट अनुमोदन प्रमाण पत्र क्रमांक:
3. खातेदार/ भू स्वामी का नाम:
पता: खसरा सख्या..... भूमि का नाप (वर्गमीटर
मे) ग्राम तहसील जिला
आवेदक का आधार कार्ड सख्या:
मोबाइल नम्बर: 1 2
संबंधित पुलिस थाना: फोन न. संबंधित तहसील
कार्यालय: फोन न. संबंधित नगर विकास
न्यास/विकास प्राधिकरण: (यदि लागू है तो) फोन न.
संबंधित ग्राम पंचायत: फोन न.
4. पूरा पता:
.....
5. स्थापना का विवरण:
- अ. उपलब्ध पार्किंग क्षेत्र का विवरण
ब. भूखंड का क्षेत्रफल (वर्गमीटर मे)
स. निर्मित क्षेत्र (कवर्ड) का क्षेत्रफल (वर्ग फीट मे)
द. स्थापना में कुल निर्मित कमरों/टेन्ट की संख्या/कैरावेन पार्किंग क्षमता

पक्के कमरे	ऊँट/घोड़ा फार्म का क्षेत्र
		(वर्ग फीट में)
ईको फ्रेंडली कमरे	फसल/बागवानी का क्षेत्र
		(वर्ग फीट में)
टेन्ट हेतु, पक्के स्ट्रक्चर	घरेलू पक्षी एवं पशुधन हेतु
		क्षेत्र
हस्तशिल्प क्षेत्र	अन्य गतिविधियाँ
		(नाम व क्षेत्रफल सहित)
कैरावेन पार्किंग क्षमता	
6.	आवेदन के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावजों की संख्या	
	(दस्तावेजों का नाम अंकित करते हुए एक पृथक सूची संलग्न करें।)	
7.	स्थापना के मालिक के संबंध में विवरण यथा आयु, व्यवसाय, पृष्ठभूमि का संक्षिप्त विवरण।	
	(स्थापना में उपलब्ध सुविधाओं की सूचना योजना में संलग्न अनुसूची में भरें एवं अनुसूची के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करें।)	

()

स्पष्ट अक्षरों में आवेदक का नाम एवं हस्ताक्षर

स्व-घोषणा

- मैंने राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना में उल्लिखित सभी नियमों एवं शर्तों को पढ़ और समझ लिया है, और मैं इनकी पालना करने के लिये सहमत हूँ।
- मैं भवन निर्माण हेतु योजना में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार मानदण्डों/शर्तों की पूर्णतया पालना करूँगा।
- कृषि पर्यटन इकाई/कैम्पिंग साईट/कैरावेन पार्क के पंजीकरण हेतु आवेदित भवन/भूमि पर कोई भी सरकारी कर देयता लालंबित नहीं है।
- मेरी जानकारी के अनुसार, मेरे द्वारा दी गई जानकारी और संलग्न दस्तावेज सही और प्रामाणिक हैं और मैंने स्व-घोषणा के दोनों पृष्ठों और सभी संलग्न दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कर दिये हैं।
- आवेदित भू-खण्ड का पर्यटन इकाई या अन्य किसी उद्देश्य से भू-संपरिवर्तित नहीं किया गया है।
- यदि मेरे द्वारा संलग्न दस्तावेजों में किसी प्रकार की विसंगती, योजना के नियम और शर्तों का उल्लंघन पाया जाता है तो पंजीकरण रद्द करने और अधोहस्ताक्षरी के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करने का अधिकार होगा तथा मौजूदा नियमों, कानूनों आदि के तहत मेरे विरुद्ध विधिक कार्यवाही/मुकदमा चलाने के लिए मैं स्वयं उत्तरदायी रहूँगा।
- मैं ग्रामीण पर्यटन इकाई हेतु निर्धारित सभी सरकारी अधिनियमों, कानूनों, नियमों, विनियमों, दिशा-निर्देशों का पालन करूँगा।
- यदि आवेदन पत्र में मेरे द्वारा प्रस्तुत विवरण में कोई परिवर्तन होता है, तो मैं इसे संबंधित पर्यटक स्वागत केंद्र को एक सप्ताह के भीतर उपलब्ध कराऊंगा।
- मैं प्रतिष्ठान का मालिक/पटेदार हूँ और आवेदित भवन/भूमि को ग्रामीण पर्यटन इकाई के रूप में चलाने के लिए पूरी तरह से अधिकृत हूँ।
- महिला यात्रियों/पर्यटकों के लिए क्रियाशील सीसीटीवी सहित प्रतिष्ठान में उचित सुरक्षा उपाय किये गए हैं।
- परिसर मरम्मत की अच्छी स्थिति में है और उसमें अग्रि शमन सहित स्वच्छता, साफ-सफाई और सुरक्षा आदि की व्यवस्था आवश्यक मानकों के अनुरूप है।
- कि मैं प्रपत्र '3' अनुसार प्रतिष्ठान में आने वाले पर्यटकों का मासिक विवरण संबंधित पर्यटन कार्यालय को अनिवार्य रूप से प्रेषित करूँगा।
- कि मैं प्रपत्र '4' अनुसार प्रतिष्ठान में रहने के लिए आने वाले पर्यटकों का एक रजिस्टर संधारित रखूँगा और इसे कम से कम 7 साल या लागू कानून के अनुसार संरक्षित रखूँगा।
- कि मैं प्रतिष्ठान में आने वाले देशी एवं विदेशी पर्यटकों का विवरण संबंधित प्राधिकारियों को प्रासंगिक कानून और दिशानिर्देशों के अनुसार, जो समय पर लागू है, प्रस्तुत करूँगा।
- यह कि ग्रामीण पर्यटन इकाई के स्वामित्व में किसी भी तरह के बदलाव के बारे में, चाहे वह विरासत में मिले या ट्रांसफर से, तुरंत प्रभारी, संबंधित पर्यटक स्वागत केन्द्र को सूचित करूँगा।

16. यह कि परिसर में या आसपास के क्षेत्र में पर्याप्त पार्किंग सुविधा है;
17. यह कि मैं आयुक्त/निदेशक, पर्यटन विभाग द्वारा यथा समय लागू की जाने वाली अन्य शर्तों की पालना करूंगा।
18. यह कि मैं सभी प्रचलित सरकारी अधिनियमों, कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों का पालन करूंगा और नहीं करने की स्थिति में समस्त कानूनी प्रावधान मुद्दे पर लागू होंगे।
19. यह कि मैं विगत पंजीकरण की वैधता अवधि समाप्ति की तिथि से 3 महीने पहले नवीनीकरण के लिए आवेदन करूंगा और नहीं करने पर मुझे रजिस्ट्रेशन हेतु पुनः आवेदन करना होगा।
20. मेरे प्रतिष्ठान को वन विभाग से किसी अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है / वन एनओसी की आवश्यकता है जिसे मैंने संलग्न किया है।

अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी एवं दस्तावेज स्वयं के ज्ञान के अनुसार सही एवं प्रमाणिक हैं। यदि प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों में किसी प्रकार की विसंगति, योजना के नियमों तथा शर्तों का उल्लंघन पाया जाता है तो, ग्रामीण पर्यटन इकाई का पंजीकरण निरस्त किया जा सकेगा।

()

स्पष्ट अक्षरों में आवेदक का नाम एवं हस्ताक्षर

प्रपत्र - '2 (द)'

अस्थायी पंजीकरण प्रमाणपत्र

क्रमांकः

दिनांकः

आवेदक

पता

विषयः अस्थायी पंजीकरण प्रमाण पत्र।

आपके आवेदन प्रपत्र एवं उसके साथ संलग्न स्व-घोषणा के आधार पर, स्थापना
(पता) को आवेदक के स्तर से अस्थायी ग्रामीण पर्यटन इकाई(पर्यटन इकाई का प्रकार) के रूप
में पंजीकृत किया जाता है।

यह प्रमाणपत्र दिनांक(तिथि अंकों में)(तिथि शब्दों में) से दिनांक
.....(तिथि अंकों में)(तिथि शब्दों में) तक वैध है (जारी करने वाले प्राधिकारी
द्वारा लिखित मेरेषित कारणों से वैधता अवधि से पूर्व निरस्त न कर दिया गया हो)।

नोट- यह अस्थायी पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदक को वैधता की तिथि के पश्चात् ग्रामीण पर्यटन इकाई का संचालन जारी
रखने का अधिकार नहीं देता है।

किसी भी असुविधा की स्थिति में आप, पर्यटक स्वागत केंद्र (फोन नंबर ईमेल
.....) से संपर्क कर सकते हैं।

()
प्रभारी, पर्यटक स्वागत केन्द्र
(कार्यालय की मुहर)

प्रपत्र - '2 (य)'

पंजीकरण प्रमाण पत्र

क्रमांकः

दिनांकः

प्रमाणित किया जाता है कि स्थापना (नाम) (पता) जो कि
 श्री/श्रीमती के स्वामित्व में है, को पर्यटन विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जारी की
 गई राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना के तहत पंजीकृत ग्रामीण पर्यटन इकाई (पर्यटन इकाई
 का प्रकार) के रूप में पंजीकृत किया जाता है।

यह प्रमाणपत्र दिनांक(तिथि अंकों में) (तिथि शब्दों में) से दिनांक
(तिथि अंकों में) (तिथि शब्दों में) तक वैध है (जारी करने वाले प्राधिकारी
 द्वारा लिखित में प्रेषित कारणों से वैधता अवधि से पूर्व निरस्त न कर दिया गया हो)।

नोट- ग्रामीण पर्यटन इकाई (पर्यटन इकाई का प्रकार) का पंजीकरण उक्त भूमि/संपत्ति के
 टाईटल अथवा स्वामित्व, किसी भी प्रकार के भवन योजना के अनुमोदन अथवा उपलब्ध भवन के नियमन को प्रमाणित नहीं
 करता है। किसी भी वाद विवाद या कानूनी वाद के लिए आवदेक स्वयं जिम्मेदार होगा।

()

प्रभारी

पर्यटक स्वागत केन्द्र

स्थान

क्रमांकः

दिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सरपंच, संबंधित ग्राम पंचायत
2. जिला वन अधिकारी, वन विभाग
3. कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग
4. कार्यकारी अभियंता, ऊर्जा विभाग
5. BDO, संबंधित पंचायत समिति
6. तहसीलदार, संबंधित तहसील
7. कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग।

()

प्रभारी

पर्यटक स्वागत केन्द्र



फोटो : श्रवा पाटेल

प्रपत्र - '3'

पर्यटक आगमन की मासिक सूचना

ग्रामीण गेस्ट हाउस /कृषि पर्यटन इकाई/ कैम्पिंग सार्फेट/ कैरावेन पार्क का

नाम: पंजीकरण संख्या:

1. सामान्य

1.1	गेस्ट हाउस /कृषि पर्यटन इकाई/ कैम्पिंग सार्फेट/ कैरावेन पार्क का नाम	
1.2	कमरों की दर सिंगल बैड रुम डबल बैड रुम ट्रिपल बैड रुम	
1.3	संबन्धित पर्यटक स्वागत केन्द्र/पर्यटक सूचना केन्द्र	
1.4	पर्यटकों हेतु उपलब्ध बैड की संख्या	

कुल आगन्तुक पर्यटकों की संख्या

	कुल आगन्तुक पर्यटक		रात्रि विश्राम हेतु प्रयुक्त बैड	
	भारतीय	विदेशी	भारतीय	विदेशी
माह के दौरान				
माह तक कुल				

2. विदेशी पर्यटकों के अतिरिक्त पर्यटकों की संख्या

कुल आगन्तुक पर्यटक		रात्रि विश्राम हेतु प्रयुक्त बैड	
माह के दौरान	माह तक	कुल माह के दौरान	माह तक कुल
कुल	कुल	कुल	कुल

3. देश के नाम के अनुसार विदेशी पर्यटक

		कुल आगन्तुक पर्यटक	रात्रि विश्राम हेतु प्रयुक्त बैंड		
		माह के दौरान	माह तक कुल	माह के दौरान	माह तक कुल
1.	यू.के.				
2.	फ्रान्स				
3.	इटली				
4.	कनाडा				
5.	यू.एस.ए.				
6.	जर्मनी				
7.	ऑस्ट्रेलिया				
8.	स्विट्जरलैण्ड				
9.	जापान				
10.	श्रीलंका				
11.	पाकिस्तान				
12.	बांग्लादेश				
13.	सिंगापुर				
14.	ईरान				
15.	यू.ए.ई.				
16.	सउदी अरब				
17.	मलेशिया				
18.	अन्य*				
	कुल				

*विवरण देवें

प्रपत्र - '4'

ग्रामीण गेस्ट हाउस / कृषि पर्यटन इकाई / कैम्पिंग सार्विट / कैरावेन पार्क का नामः

पंजीकरण संख्या:

आगन्तुक पर्यटकों की पंजिका

प्रपत्र - '5'

गेस्ट हाउस/ कृषि पर्यटन इकाई/ कैम्पिंग साईट/ कैरावेन पार्क के नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र

प्रेषिति:-

प्रभारी अधिकारी,
पर्यटक स्वागत केन्द्र,
पर्यटन विभाग, राजस्थान सरकार।

विषयः गेस्ट हाउस/ कृषि पर्यटन इकाई/कैम्पिंग साईट/कैरावेन पार्क के नवीनीकरण के लिये आवेदन पत्र (जिस इकाई के लिए आवेदन है, को छोड़कर शेष को काट दें।)

महोदय,

कृपया वांछित विवरण निम्नानुसार है तथा संबन्धित दस्तावेजों की प्रतिलिपियां संलग्न प्रस्तुत हैं:

1. प्रतिष्ठान/स्थापना का नाम:-.....
2. ग्रामीण पर्यटन इकाई हेतु पंजीकरण प्रमाण पत्र क्रमांक:- (पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न है।)

पर्यटन इकाई के पंजीकरण प्रमाण-पत्र की अवधि दिनांक को समाप्त हो रही है, मैं अनुरोध करता हूं कि उक्त प्रमाण-पत्र को राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना के तहत निर्धारित नियमों और शर्तों के तहत दो वर्ष की अवधि के लिए नवीनीकृत किया जाये।

जमा कराये जाने वाले शुल्क का विवरणः

ई-चालान/ऑनलाईन भुगतान संख्या

दिनांकः

()

स्थानः

स्पष्ट अक्षरों में आवेदक का नाम एवं हस्ताक्षर

वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, फरवरी 23, 2022

एस.ओ.678. - राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14) की धारा 9 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इसके द्वारा आदेश देती है कि राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी राजस्थान ग्रामीण पर्यटन स्कीम के अधीन पात्र किसी पर्यटन इकाई के पक्ष में निष्पादित, संनिर्माण सहित या उसके बिना, भूमि के क्रय या पट्टे की लिखत पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क, उक्त स्कीम के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी हकदारी प्रमाणपत्र प्रस्तुत किये जाने पर, 75 प्रतिशत घटाया जायेगा।

[प.4 (2) वित्त / कर / 2022-126]
राज्यपाल के आदेश से,

(टीना डाबी)
संयुक्त शासन सचिव

राजस्थान सरकार उद्योग एवं वाणिज्य (ग्रुप—2) विभाग

क्रमांक: प. 1(50) उद्योग/गुप—2/2019 जयपुर, दिनांक: 24.08.2022

—: संशोधित अधिसूचना :—

राज्यपाल महोदय की ओर से मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना में अनुच्छेद संख्या 7(ग) के पश्चात् निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:—

7 (ग) (अ) “राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना में पात्र इकाईयों को योजना के अन्तर्गत 25 लाख रुपये तक के ऋण पर 8 प्रतिशत के स्थान पर 9 प्रतिशत ब्याज अनुदान दिया जायेगा।”

यह स्वीकृति वित्त (कर) विभाग की आई.डी.संख्या 112200034 दिनांक 29.06.2022 एवं वित (व्यय—2) विभाग की आई.डी.संख्या 102204739 दिनांक 16.08.2022 के अनुसरण में जारी की जाती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(शक्ति सिंह राठौड़)

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
FINANCE DEPARTMENT
(TAX DEVISION)

ORDER

No. F. 12(20) FD/Tax/2020-25

Jaipur, dated: 21.06.2022

In exercise of the powers conferred by the Clause 24 of the Rajasthan Investment Promotion Scheme-2019 (hereinafter referred to as "the Scheme"), the State Government being of the opinion that it is expedient in the public interest so to do, hereby, modifies the Scheme by making the following amendments, with immediate effect, namely,-

AMENDMENTS

1. Amendment of Clause 2.- In existing sub-clause (xci) of clause 2 of the Scheme, after the existing item number (iv) and before the existing item number (v), the following new item number (iv-a) shall be inserted, namely,-
"(iv-a) An eligible Rural Tourism Unit registered in the Tourism Department under the Rajasthan Rural Tourism Scheme issued by the State Government from time to time; or"
2. Amendment of Clause 6.2.- The existing item number (xx) of clause 6.2 of the Scheme shall be substituted by the following, namely,-
"(xx) Tourism sector enterprises making an investment equal to or above rupees two crore;
Provided that minimum investment for a Rural Tourism Unit shall be Rupees One Crore;"
3. Amendment of Clause 7.12.- In existing clause 7.12 of the Scheme, after the existing item number (ii) and before the existing clause 7.13, the following new proviso shall be inserted, namely,-
"Notwithstanding anything mentioned above in this clause, a Rural Tourism Unit shall be granted following benefits:-
 - (i) 25% additional Investment Subsidy of State tax due and deposited for first seven years; and
 - (ii) 100% additional Investment Subsidy of State tax due and deposited for additional three years after completion of first seven years."

4. Amendment of Clause 13.- In clause 13 of the Scheme, after the existing clause 13.8 and before the existing clause 14, the following new clause 13.9 shall be inserted, namely,-
"13.9 Benefits under the Scheme to a Rural Tourism Unit can only be availed if, and as long as there is, and for the period(s), registration/approval from Department of Tourism, Government of Rajasthan is effective."
5. Amendment of Form-A.- In existing Form-A appended to the Scheme,-
 - (i) the existing serial number 8 under "Encl:" shall be renamed as 9;
 - (ii) the new serial number 8 under "Encl:" shall be inserted,-
"8. Registration/ Approval Certificate issued to Rural Tourism Unit by Tourism Department (applicable for Rural Tourism Unit only)"
6. Amendment of Form-D.- In existing Form-D appended to the Scheme,-
 - (i) the existing serial number 9 under "Encl:" shall be renamed as 10;
 - (ii) the new serial number 9 under "Encl:" shall be inserted,-
"9. Registration/ Approval Certificate issued to Rural Tourism Unit by Tourism Department (applicable for Rural Tourism Unit only)"

By order of the Governor,

(Tina Dabi)
Joint Secretary to the Government

पर्यटन विभाग के स्थानीय कार्यालयों (पर्यटक स्वागत केन्द्र) का विवरण

क्र.सं.	कार्यालय का नाम	क्षेत्राधिकार में स्थित ज़िले	कार्यालय का दूरभाष नं.	Email ID
1.	पर्यटक स्वागत केन्द्र, अजमेर	अजमेर, नागौर, भीलवाड़ा	0145-2627426	trc.ajmer@rajasthan.gov.in trcajmer@gmail.com
2.	पर्यटक स्वागत केन्द्र, अलवर	अलवर	0144-2347348	trcalwar-dot@rajasthan.gov.in
3.	पर्यटक स्वागत केन्द्र, भरतपुर	भरतपुर, धौलपुर	05644-222542	trcbharatpur-dot@rajasthan.gov.in trcbharatpur@gmail.com
4.	पर्यटक स्वागत केन्द्र, बीकानेर	बीकानेर, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, चूरू	0151-2226701	trcbikaner-dot@rajasthan.gov.in adtrcbikaner@gmail.com
5.	पर्यटक स्वागत केन्द्र, चित्तौड़गढ़	चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़	01472-241089	trccittorgarh-dot@rajasthan.gov.in trccittorgarh@gmail.com
6.	पर्यटक स्वागत केन्द्र, जयपुर	जयपुर, दौसा	0141-2822864	trcjaipur-dot@rajasthan.gov.in
7.	पर्यटक स्वागत केन्द्र, जैसलमेर	जैसलमेर, बाड़मेर	02992-252406	trcjaisalmer-dot@rajasthan.gov.in
8.	पर्यटक स्वागत केन्द्र, झालावाड़	झालावाड़, बारां	07432-230081	trcjhalawar-dot@rajasthan.gov.in
9.	पर्यटक स्वागत केन्द्र, झुन्झुनूं	झुन्झुनूं	01592-232909	trcj hunjhunu-dot@rajasthan.gov.in
10.	पर्यटक स्वागत केन्द्र, जोधपुर	जोधपुर, पाली	0291-2545083	trcjodhpur-dot@rajasthan.gov.in
11.	पर्यटक स्वागत केन्द्र, कोटा	कोटा, बून्दी	0744-2327695	trckota-dot@rajasthan.gov.in
12.	पर्यटक स्वागत केन्द्र, मा. आबू	सिरोही, जालोर	02974-235151	trcmountabu-dot@rajasthan.gov.in trcmountabu@gmail.com

13.	पर्यटक स्वागत केन्द्र, सराइमाधोपुर	सराइमाधोपुर, टोंक, करौली	07462-220808	trcswm-dot@rajasthan.gov.in
14.	पर्यटक स्वागत केन्द्र, सीकर	सीकर		tourism.sikar@rajasthan.gov.in
15.	पर्यटक स्वागत केन्द्र, उदयपुर	उदयपुर, बांसवाड़ा, झंगरपुर, राजसमन्द	0294-2521971	trcudaipur-dot@rajasthan.gov.in tourismudaipur1@gmail.com

निदेशालय पर्यटन विभाग, पर्यटन भवन, संजय मार्ग, विधायकपुरी पुलिस थाने के सामने, एमआई रोड, जयपुर 302001

ई मेल: director.tourism@rajasthan.gov.in दूरभाष नं. 0141 2822800/2822852



राजस्थान
भारत का अतुल्य राज्य !



tourism.rajasthan.gov.in

